रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102020-222693 CG-DL-E-23102020-222693

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3369] No. 3369] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2020/कार्तिक 1, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2020/KARTIKA 1, 1942

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3798(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित 6 उत्पादों हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के का.आ. 2920(अ) के तहत 'सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक सामग्री (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017' जारी किया था, जिसके प्रभावी होने की तारीख 5 सितम्बर, 2018 थी। और यतः भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त का.आ. सं. 2183(अ) के तहत दिनांक 30 मई, 2018 को अधिसूचित भारत के राजपत्र में प्रकाशित और 30 जून, 2018 तक प्रभावी आदेश के साथ अनुबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 1-5 के उत्पादों के लिए विनिर्माता द्वारा स्वतः प्रमाणन देने की शर्त पर उक्त आदेश के प्रभावी होने की तारीख को पहले करके 16 अप्रैल, 2018 कर दिया गया था, जिसे दिनांक 13.07.2018 के का.आ. सं. 3449(अ) के खंड 2 के तहत दिनांक 4 सितम्बर, 2018 तक और आगे बढ़ाया गया था।

- 2. इसके अलावा, ऐसे माड्यूल निर्माताओं को जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट से कम है, भारत के राजपत्र में अधिसूचित का.आ. सं. 3449(अ) के खंड 3 के तहत बीआईएस प्रमाणीकरण के लिए 04.09.2020 तक दो वर्ष तक की छूट दी गई है, बशर्ते उनके पास इस अविध के लिए वैध आईईसी प्रमाण पत्र (या तो 2005 अथवा 2016) या उस अविध जिसके लिए आईईसी प्रमाणपत्र, जो भी पहले हो, वैध था, तथा इसके अलावा, इस शर्त पर कि उनके द्वारा 16.04.2018 से पहले आईईसी प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए हों।
- 3. और यतः अखिल भारतीय सौर उद्योग संघ (एआईएसआईए), नई दिल्ली ने यह सूचित किया है कि कोविड 19 की घटना के चलते घरेलू सौर उद्योग को बचाए रखने की गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं और उनके उत्पादों के लिए आईईसी प्रमाण पत्र की वैधता तक एसपीवी माड्यूलों के लिए बीआईएस प्रमाणन छू**ट को आगे बढ़ाने की मांग की है, अत**:

5171 GI/2020 (1)

यह अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 13.07.2018 की अधिसूचना के खंड 3 को संशोधित किया जाता है, और ऐसे माड्यूल निर्माताओं के लिए उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूप, आईईसी प्रमाण पत्रों की वैधता तक बीआईएस पंजीकरण से छूट प्रदान की जाती है, बशर्ते कि एसपीवी माड्यूलों के लिए आईईसी प्रमाण पत्र 16.04.2018 से पहले प्राप्त किए गए हों। इन निर्माताओं को आईईसी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त होने के बाद अनिवार्य रूप से बीआईएस पंजीकरण कराना होगा।

[फा. सं. 223/140/2017-आर एंड डी समन्वय (गुणवत्ता नियंत्रण)] डॉ. बी.एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENRGY NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2020

- **S.O.** 3798(E).—Whereas the Central Government had issued "Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017 "vide S.O. 2920(E) dated 5th September 2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5th September 2018. And whereas, after having discussions with the various stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS), the date of coming into force of the said Order was advanced to 16th April 2018 on the condition of self-certification by manufacturers for products at Sl. No. 1-5 in the Schedule annexed to the same order applicable till 30th June, 2018 published in Gazette of India notified on 30th May 2018 *vide* S.O. 2183(E), which was further extended to 4th September 2018 *vide* Clause 2 of S.O. No. 3449(E) dated 13.07.2018.
- 2. Further, the module manufacturers whose annual module production capacity is less than 50MW, *vide* Clause 3 of S. O 3449(E) notified in Gazette of India on 13th July 2018 were exempted for BIS certification for two years till 4.09.2020 provided they had a valid IEC Certificate (either 2005 or 2016) for the period, or for the period for which IEC certificate was valid, whichever is earlier and further provided the IEC certificate had been obtained before 16.04.2018.
- 3. And whereas, All India Solar Industries Association (AISIA), New Delhi has conveyed that COVID 19 disruption has posed serious challenges for the survival of domestic solar industry, and sought extension of the BIS certification exemption till the validity of IEC certificates for their products (SPV Modules), it is hereby notified that the Clause 3 of the notification dated 13.07.2018 stands revised allowing exemption for BIS registration to such modules manufacturers till the validity of IEC certificates corresponding to the Indian Standards specified in the said order provided the IEC certificates for SPV Modules had been obtained before 16.04.2018. These manufacturers will be required to go compulsorily for BIS registration after the validity of IEC Certificates is over.

[F. No. 223/140/2017-R&D Coord.(Quality Control)]
Dr. B.S. NEGI, Adviser/Scientist 'G', MNRE